Whether you are at work, home or in your community, the labor movement wants you to

KNOW YOUR RIGHTS

and be prepared when interacting with law enforcement, including immigration agents.

- If officers ask you questions, you have the right to say: "I choose to remain silent."
- You have the right to consult with an attorney before answering any questions or signing any documents.
- If you have valid U.S. immigration documents, carry them with you.

 Never carry false documents or lie about your immigration status.
- Unless you consent, a law enforcement officer requires a proper warrant from a court signed by a judge to enter your home. You have the right to deny them consent. A warrant from DHS does not give officers the right to enter your home against your will.

AFL-CIO

EXERCISE YOUR RIGHTS!

- If you are stopped by law enforcement, you may hand this card to the officer and remain silent.
- If law enforcement knocks on your door, you can slide this card under the door and remain silent until the officer shows you a warrant from a court signed by a judge—immigration warrants from DHS do not count.

NOTE: This information is not meant to serve as legal advice.

DETACH HERE	
,	

I am exercising my right to remain silent, my right to refuse to answer your questions and my right to refuse to sign anything, until I consult an attorney.

Unless you have a signed judicial warrant, I do NOT consent to your search of my home, vehicle or property. If I am detained, I request to contact this attorney/organization immediately.

Phone # _			
Thank you	J.		

Whether you are at work, home or in your community, the labor movement wants you to

KNOW YOUR RIGHTS

and be prepared when interacting with law enforcement, including immigration agents.

- If officers ask you questions, you have the right to say: "I choose to remain silent."
- You have the right to consult with an attorney before answering any questions or signing any documents.
- If you have valid U.S. immigration documents, carry them with you.

 Never carry false documents or lie about your immigration status.
- Unless you consent, a law enforcement officer requires a proper warrant from a court signed by a judge to enter your home. You have the right to deny them consent. A warrant from DHS does not give officers the right to enter your home against your will.

AFL-CIO

EXERCISE YOUR RIGHTS!

- If you are stopped by law enforcement, you may hand this card to the officer and remain silent.
- If law enforcement knocks on your door, you
 can slide this card under the door and remain
 silent until the officer shows you a warrant
 from a court signed by a judge—immigration
 warrants from DHS do not count.

NOTE: This information is not meant to serve as legal advice.

I am exercising my right to remain silent, my right to refuse to
answer your questions and my right to refuse to sign anything,
until I consult an attorney.

DETACH HERE

Unless you have a signed judicial warrant, I do NOT consent to your search of my home, vehicle or property. If I am detained, I request to contact this attorney/organization immediately.

Phone #				
Thank yo	u.			

चाहे आप कार्यस्थल पर हों, घर पर हों या आपके समुदाय में हों, लेबर मूवमेंट चाहता है कि आपको अपने

अधिकारों के बारे में जानकारी हो,

और कानून प्रवर्तन समेत आव्रजन एजेंटों से बातचीत करते समय आप तैयार रहें।

- वि अधिकारी आपसे प्रश्न पूछें, तो आपको यह कहने का अधिकार है: "I choose to remain silent" ("मुझे खामोश रहना है")।
- 2 आपके पास यह अधिकार है कि आप किसी प्रश्न का उत्तर देने से पहले अथवा किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले किसी अटॉर्नी से परामर्श ले मकें।
- 3 सि आपके पास वैध यू.एस. आव्रजन दस्तावेज़ हैं, तो उन्हें अपने साथ रखें। कभी भी कोई झूठा दस्तावेज़ न रखें, या अपनी आव्रजन स्थिति के बारे में झूठ न बोलें।
- जब तक आप सहमित नहीं देते, कानून प्रवर्तन
 अधिकारी को आपके घर में प्रवेश करने के लिए
 न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित न्यायालय से उचित
 वारंट की आवश्यकता होती है। आपके पास उनसे
 सहमित से इनकार करने का अधिकार है। DHS से
 प्राप्त वारंट अधिकारियों को आपकी इच्छा के खिलाफ
 आपके घर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं देता है।

AFL-CIO

अपने अधिकारों का प्रयोग करें!

- यदि कानून प्रवर्तन द्वारा आपको रोका जाए, तो आप
 यह कार्ड अधिकारी को दे सकते हैं और चुप रह सकते हैं।
- यदि कानून प्रवर्तन आपके घर का दरवाजा खटखटाए, तो आप दरवाजे के नीचे से उन्हें यह कार्ड दे सकते है और तब तक खामोश रहें जब तक कि अधिकारी आपको किसी जज द्वारा हस्ताक्षरित, कोर्ट की ओर से जारी किया गया वारंट न दिखाए — इसमें DHS की ओर से आव्रजन वारंट शामिल नहीं हैं।

नोटः इस जानकारी को विधिक परामर्श नहीं समझा जाना चाहिए।.

यहां से अलग करें

मैं खामोश रहने के मेरे अधिकार, मैं अपने अटॉर्नी से परामर्श किए बिना आपके प्रश्नों का उत्तर देने से मना करने, तथा किसी भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से मना करने के मेरे अधिकार का प्रयोग कर रहा/रही हूं।

यदि आपके पास एक हस्ताक्षरित न्यायिक वारंट नहीं है, तो मैं आपको मेरे घर, वाहन, या प्रॉपर्टी को सर्च करने की सहमति नहीं देता/देती हूं। यदि मुझे गिरफ्तार (डिटेन) किया जाता है, तो मेरा अन्रोध है कि इस अटॉर्नी / संगठन से तत्काल संपर्क करें।

फ़ोन नंबर	
धन्यवाद	HINDI

चाहे आप कार्यस्थल पर हों, घर पर हों या आपके समुदाय में हों, लेबर मुवमेंट चाहता है कि आपको अपने

अधिकारों के बारे में जानकारी हो,

और कानून प्रवर्तन समेत आव्रजन एजेंटों से बातचीत करते समय आप तैयार रहें।

- वि अधिकारी आपसे प्रश्न पूछें, तो आपको यह कहने का अधिकार है: "I choose to remain silent" ("मुझे खामोश रहना है")।
- 2 आपके पास यह अधिकार है कि आप किसी प्रश्न का उत्तर देने से पहले अथवा किसी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से पहले किसी अटॉर्नी से परामर्श ले सकें।
- 3 सिंद आपके पास वैध यू.एस. आव्रजन दस्तावेज़ हैं, तो उन्हें अपने साथ रखें। कभी भी कोई झूठा दस्तावेज़ न रखें, या अपनी आव्रजन स्थिति के बारे में झूठ न बोलें।
- जब तक आप सहमित नहीं देते, कानून प्रवर्तन
 अधिकारी को आपके घर में प्रवेश करने के लिए
 न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित न्यायालय से उचित
 वारंट की आवश्यकता होती है। आपके पास उनसे
 सहमित से इनकार करने का अधिकार है। DHS से
 प्राप्त वारंट अधिकारियों को आपकी इच्छा के खिलाफ
 आपके घर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं देता है।

AFL-CIO

अपने अधिकारों का प्रयोग करें!

- यदि कानून प्रवर्तन द्वारा आपको रोका जाए, तो आप
 यह कार्ड अधिकारी को दे सकते हैं और चुप रह सकते हैं।
- यदि कानून प्रवर्तन आपके घर का दरवाजा खटखटाए, तो आप दरवाजे के नीचे से उन्हें यह कार्ड दे सकते है और तब तक खामोश रहें जब तक कि अधिकारी आपको किसी जज द्वारा हस्ताक्षरित, कोर्ट की ओर से जारी किया गया वारंट न दिखाए — इसमें DHS की ओर से आव्रजन वारंट शामिल नहीं हैं।

नोटः इस जानकारी को विधिक परामर्श नहीं समझा जाना चाहिए।.

यहां से अलग करें

मैं खामोश रहने के मेरे अधिकार, मैं अपने अटॉर्नी से परामर्श किए बिना आपके प्रश्नों का उत्तर देने से मना करने, तथा किसी भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से मना करने के मेरे अधिकार का प्रयोग कर रहा/रही हूं।

यदि आपके पास एक हस्ताक्षरित न्यायिक वारंट नहीं है, तो मैं आपको मेरे घर, वाहन, या प्रॉपर्टी को सर्च करने की सहमति नहीं देता/देती हूं। यदि मुझे गिरफ्तार (डिटेन) किया जाता है, तो मेरा अन्रोध है कि इस अटॉर्नी / संगठन से तत्काल संपर्क करें।

फ़ोन नंबर		
धन्यवाद	,	HINDI